

भारत सरकार
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1459
(दिनांक 12.12.2023 को उत्तर देने के लिए)

शिकायत निवारण तंत्र

1459. श्री मद्दीला गुरुमूर्ति:

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि यदि किसी व्यक्ति के विरुद्ध मीडिया में कुछ लिखा जाता है तो उसके लिए अपनी शिकायत के निवारण हेतु शिकायत दर्ज कराने के लिए कोई शिकायत निवारण तंत्र नहीं है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ख) क्या सरकार जिला, राज्य और केन्द्र-सभी स्तरों पर शिकायत निवारण तंत्र स्थापित करने पर विचार कर रही है;
- (ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;
- (घ) क्या सरकार ने मीडिया के सभी प्रकारों में आंतरिक शिकायत निवारण तंत्र उपलब्ध कराने पर विचार किया है; और
- (ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

सूचना और प्रसारण; और युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री
(श्री अनुराग सिंह ठाकुर)

(क) से (ङ): सरकार का, विभिन्न मीडिया प्लेटफार्मों पर सामग्री से संबंधित शिकायतों के निवारण के लिए संस्थागत तंत्र मौजूद है। प्रिंट मीडिया के लिए, प्रेस परिषद अधिनियम, 1978 के तहत गठित सांविधिक निकाय अर्थात् भारतीय प्रेस परिषद (पीसीआई) ने पीसीआई द्वारा प्रकाशित, पत्रकारिता आचरण के मानक के उल्लंघन से संबंधित शिकायतों को देखने के लिए धारा 14 के तहत एक शिकायत तंत्र स्थापित किया है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ

समाचारपत्रों से अपेक्षा की जाती है कि वे किसी ऐसी सामग्री का प्रकाशन न करें जो कुछ विशेष परिस्थितियों में किसी व्यक्ति के खिलाफ स्पष्ट रूप से मानहानिकारक या अपमानजनक हो।

डिजिटल मीडिया और प्राइवेट सैटेलाइट टीवी चैनलों पर समाचारों के लिए, सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 के तहत निर्धारित आचार संहिता तथा केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 के तहत निर्धारित कार्यक्रम संहिता के उल्लंघन से संबंधित शिकायतों की जांच के लिए शिकायत निवारण हेतु एक तीन स्तरीय तंत्र स्थापित किया है।

जहां कहीं भी संहिताओं का उल्लंघन पाया जाता है, वहां उचित कार्रवाई की जाती है।
